

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/2302 /

जबलपुर, दिनांक ०९/०५/२०१९

IV-12-14/80 VII-O

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-11-12/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 1 सितम्बर, 2012 के अनुसार अपर्णा तिवारी, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 01/02/2019 से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

सही/-

(सतीश चन्द्र राय)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/2303 /

जबलपुर, दिनांक ०९/०५/२०१९

IV-12-14/80 VII-O

प्रतिलिपि :-

- ✓ 1. रजिस्ट्रार (आईटी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अपर्णा तिवारी, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(अजय पवार)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)

८.५.१९

:- :-